# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

## अपील संख्या : 17/107

ओमप्रकाश आत्मज श्री लाल आयु 48 वर्ष, जाति धाकड निवासी ग्राम पाण्डूला तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

**बनाम**

1. प्रकाश पुत्र श्री भूरा जाति धाकड निवासी पाण्डूला पोस्ट सुवान्या पटवार हल्का धानुगॉव तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार नैनवा जिला बून्दी ।
3. उप पंजीयक उप पंजीयन कार्यालय नैनवा जिला बून्दी ।
4. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री रमेश कुमार कहार, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

## निर्णय

दिनांकः 13.02.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.05.2016 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पाण्डूला तहसील नैनवा जिला बून्दी में खतौनी संख्या 38 की खसरा नम्बर 741 रकबा 08 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 404 रकबा 03 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 454 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 479 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 481 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 561 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नमिर 563 रकबा 03 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नमिनर 561 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 761 रकबा 01 बीघा कुल 08 किता की रकबा 22 बीघा 08 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि के पूर्व में मूल खातेदार श्योकिशन, माधो व नारायण पिसरान रामसुख जाति धाकड थे जिनका प्रत्येक का 1/3 — 1/3 हिस्सा था । माधो लाऔलाद फौत हुए थे जिनके हिस्से की कृषि भूमि को प्रतिवादी कम 1 प्रकाश ने गलत सूचना देकर अपने खाते लगवा लिया । नारायण की मृत्यु के पश्चात् उसका पुत्र श्री लाल व नारायण की बेवा मोत्या एवं श्रीलाल व मोत्या की मृत्यु के पश्चात् वादी ओमप्रकाश उक्त आराजी पर निरन्तर निर्बाध रूप से काश्त करता चला आ रहा है । उक्त भूमि वादी की पुश्तैनी भूमि होने से उक्त भूमियों में वादी का

जन्म से ही अधिकार निहित है । वादी वादग्रस्त आराजी पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर भी खातेदार हो चुका है ।

3. अतः वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादपत्र के चरण क्रम 2 व 6 में वर्णित कृषि भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में से प्रतिवादी क्रम 1 प्रकाश के नाम के इन्द्राज को अवैध होने से विलोपित कर उसके स्थान पर वादी को उक्त भूमियों का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का अवरोध पैदा नहीं करे तथा उक्त भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को रहन, बेचान एवं अन्य किसी प्रकार से अन्तरण नहीं करें ।

4. तत्पश्चात् पक्षकारान ने अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित राजीनामा पेश किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.05.2016 को पारित कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.05.2016 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत तथ्यों व दस्तावेजों पर विचार न करके पक्षकारान के बीच हुए राजीनामे को भी ध्यान में न रखते हुए रहन, बेचान व अन्य प्रकार से हस्तान्तरण की शर्त जबरदस्ती आरोपित की है जो कानूनन गलत है । अधीनस्थ न्यायालय ने किसी प्रकार के विवाद्यक विरचित कर कोई स्पष्ट निर्णय नहीं दिया है जिसमें प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को कोई अहमियत न देकर कानूनी त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट की अपनी तबियत ज्यादा खराब होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सूचना प्राप्त नहीं कर सका और उक्त निर्णय की जानकारी दिनांक 20.01.2017 को तब हुई जब अपीलान्ट केसीसी बनाने के लिए बैंक में नकल लेकर गया तो उक्त शर्त का पता चला तब वकील साहब से सम्पर्क करने पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में निर्णय एवं डिक्री पारित की है। अधीनस्थ न्यायालय ने बेचान, रहन व हस्तानन्तरण नहीं करने की शर्त गलत रूप से लगाई है । तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया है जबकि पक्षकारान के द्वारा जो राजीनामा पेश किया गया था उसके अनुसार निर्णय पारित किया जाना चाहिए था कोई शर्त नहीं लगानी चाहिए थी । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 09.05.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकारान के द्वारा एक राजीनामा पेश किया गया है जो पत्रावली में संलग्न है । इस राजीनामे को अधीनस्थ न्यायालय ने तस्दीक किया है । राजीनामे में यह अंकित किया गया है कि खसरा नम्बर 481 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा हम दोनों की आपसी सहमति से ओमप्रकाश आत्मज श्री लाल के खाते में रहेगी । इस बाबत् राजीनामा हो गया है तथा ओमप्रकाश आत्मज श्रीलाल ने भविष्य में बेचान नहीं करने बाबत् सहमति दी है तथा ऋण भी नहीं लेगा । इस बाबत् हमारे बीच राजीनामा हो गया है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय ने इस राजीनामा के उपरान्त निर्णय एवं डिक्री पारित की है । अपीलाधीन निर्णय में खसरा नम्बर 481 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा का वादी को खातेदार घोषित किया है और इस खसरा नम्बर को रहन, बेचान एवं अन्य प्रकार से अन्तरण करने का अधिकार इस डिक्री में वादी नहीं दिया है । शेष खसरा 454 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 479 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 741 रकबा 08 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 761 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा कुल किता 04 रकबा 12 बीघा 13 बिस्वा पर प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया है और वादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया है । राजीनामे में प्रतिवादीगण के काउन्टर क्लेम के बाबत् कोई हवाला नहीं है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने काउन्टर क्लेम स्वीकार किया है परनतु अपीलान्ट ने अपील में इस बाबत् कोई आपत्ति नहीं की है । उनके द्वारा अपील में मुख्य रूप से यह आपत्ति की गई है कि आराजी खसरा नम्बर 481 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा के बाबत् जो शर्त लगायी गई है उसको निरस्त किया जावे । इस कम में हमारा मत यह है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो यह शर्त लगायी गई है वो राजीनामे के आधार पर ही लगायी है । राजीनामा अपीलान्ट और रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर पेश किया है जो अधीनस्थ न्यायालय तस्दीक भी किया गया है । ऐसी स्थिति में राजीनामे में जो शर्त अंकित है उसके विपरीत कोई कथन करने का अपीलान्ट का कोई अधिकार नहीं है । यदि अपीलान्ट ऐसा महसूस करते हैं कि राजीनामे में दर्ज की गई यह शर्त उचित नहीं है तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं परन्तु राजीनामे में अंकित तथ्यों के आधार पर वादी के पक्ष में अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है उसके खिलाफ वादी अपीलान्ट की अपील मेन्टेनेबल नहीं है । प्रतिवादी के पक्ष में डिक्री किये गये काउन्टर क्लेम के बाबत् अपीलान्ट ने अपील में कोई आपत्ति नहीं की है ।

12. इन तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.05.2016 बहाल रखा जाता है ।

13. निर्णय आज दिनांक 13.02.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

13/2/19

**(भागवंती जेठवानी)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा**

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

# अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

## राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

**अपील संख्या : 17/107**

ओमप्रकाश आत्मज श्री लाल आुय 48 वर्ष, जाति धाकड निवासी ग्राम पाण्डूला तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

——अपीलार्थी

**बनाम**

1. प्रकाश पुत्र श्री भूरा जाति धाकड निवासी पाण्डूला पोस्ट सुवान्या पटवार हल्का धानुगॉव तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार नैनवा जिला बून्दी ।
3. उप पंजीयक उप पंजीयन कार्यालय नैनवा जिला बून्दी ।
4. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, बून्दी ।

——प्रत्यर्थी

**बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.05.2016 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी ।**

वाद संख्याः **58/दावा/2015**

ओमप्रकाश आत्मज श्री लाल आुय 48 वर्ष, जाति धाकड निवासी ग्राम पाण्डूला तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

——वादी

## बनाम

1. प्रकाश पुत्र श्री भूरा जाति धाकड निवासी पाण्डूला पोस्ट सुवान्या पटवार हल्का धानुगॉव तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार नैनवा जिला बून्दी ।
3. उप पंजीयक उप पंजीयन कार्यालय नैनवा जिला बून्दी ।
4. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, बून्दी ।

——प्रतिवादी

# अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.05.2016 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 13.02.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री रमेश कुमार कहार एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.05.2016 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 13.02.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

**मुहर**

13/2

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा